<u>न्यायालय :– न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर जिला हनुमानगढ</u>

पीठासीन अधिकारी : डिम्पल कुमार, आर.जे.एस.

नं0 फौज0 प्र0 संख्या : 938 / 2023

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 244 / 2023 पुलिस थाना रावतसर

CNR Number : RJHG080017612023

राजस्थान राज्य

बनाम

1– विनोद कुमार पुत्र हनुमान निवासी वार्ड सं0–3 न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। – अभियुक्त

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0, 134 / 187 एमवीएक्ट</u>

<u>उपस्थिति :–</u>

1. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी – राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश स्वामी– वास्ते अभियुक्त की ओर से।

–:: <u>निर्णय</u> ::–

<u>दिनांक :– 02.06.2026</u>

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.04.2023 को परिवादी रोहताश ने थानाधिकारी पुलिस थाना रावतसर के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उसकी कार नंबर एचआर–51एम 5442 पर पवन चालक है। दिनांक 23.04.2023 को पवन मुंसरी से नोहर आ रहा था तो बोलेरो नंबर एचआर–72, 1686 के चालक ने तेज गति व लापरवाही से बोलेरो को चलाते हुए उसकी कार के टक्कर मारी, जिससे उसकी कार का काफी नुकसान हुआ व चालक पवन के चोटे आई। बोलेरो चालक बोलेरो को वहीं छोड़कर भाग गया। आदि तथ्यों के प्रार्थना पत्र पर उक्त प्रथम सूचना दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।
2. अभियुक्त को धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 एवं 134 / 187 एमवीएक्ट का अभियोग सारांश सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।
3. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी0ड0–1 पवन कुमार को पेश कर परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में पुलिस बयान पवन

प्रदर्शपी–1 को प्रदर्शित करवाया। इस स्तर पर आहत एवं अभियुक्त के मध्य धारा 337, 338 भा0दं0सं0 में राजीनाम पेश होने पर अभियोजन की ओर से शेष अभियोजन गवाहान को तर्क किया गया।

4. अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध कोई दोषाकारी परिस्थतियां/ साक्ष्य प्रकट नहीं होने के कारण बयान मुलजिम बनना नहीं पाए गए।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि अभियुक्त ने अपनी बोलेरो *गाड़ी नंबर एचआर–72–1686* को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न उत्पन्न करते हुए आहत पवन की कार के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की है तथा अपने वाहन बोलेरो को वहीं छोड़कर भाग गया तथा अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से होती है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे, जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि अभियुक्त के द्वारा बोलेरो को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न उत्पन्न किया गया हो। प्रकरण में अहम गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा अभियोजन कहानी का लैस मात्र भी समर्थन नहीं किया गया है। अभियुक्त एवं आहत के मध्य राजीनामा भी हो चुका है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

6. बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं सम्बन्धित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

7. इस प्रकरण के निर्णयार्थ न्यायालय के समक्ष शेष विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. *''क्या वरवक्त घटना दिनांक 23.04.2023 को समय करीब 2:24 पीएम पर रौही मौजा मुंसरी सड़क आम मुंसरी से नोहर लोक मार्ग पर अभियुक्त ने बोलेरो नंबर एचआर–72–1686 को तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर पवन की कार संख्या एचआर–51 एम–5442 के टक्कर मारकर*

मानव जीवन को संकटापन्न उत्पन्न किया तथा अपने कर्त्तव्यों का पालन नही किया ?

2. *यदि हां, तो उचित दण्डादेश क्या हो ?*

8. सर्वप्रथम न्यायालय यह अवधारण करना उचित पाता है कि क्या दुर्घटना के वक्त वाहन बोलेरो नंबर *एचआर–72–1686* पर चालक अभियुक्त विनोद ही था ?

9. उक्त अवधार्य बिन्दू के सम्बन्ध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह पी0ड0–1 पवन (आहत) ने न्यायालय के बयानों में कथन किया है कि घटना की तारीख व समय आज उसे याद नही है। वह कार एचआर–51 एम–5442 को लेकर 25 एन.टी.आर. से मरीज लेकर पी.बी.एम. बीकानेर से वापिस आ रहा था, जब वह मुन्सरी से थोड़ा नोहर की तरफ पहुंचा तो एक बोलेरो गाड़ी ने गलत दिशा से आकर उसके टक्कर मारी, जिससे उसके पैरों पर चोटें आई। उसनें मौके पर बोलेरो चालक व बोलेरो के नंबर नही देखे थे। उसे मौके पर उसका बहनोई रोहताश, उसके चाचा रायसिंह वगैरह नोहर अस्पताल लेकर आए थे, जहां से उसे रेफर कर दिया था। उसका इलाज महाराज अग्रसेन कॉलेज अगरवा में चला था। उसका मुलजिम के साथ राजीनामा हो गया है। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा अभियोजन की ओर से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 1 का हिस्सा ए से बी लिखाये जाने तथा अपनी कार के बोलेरो गाड़ी नंबर एचआर72–1686 के चालक विनोद कुमार द्वारा तेज गति व लापरवाही से चलाकर गलत दिशा से टक्कर मारने के तथ्य से इनकारी की है। स्वतः कहा कि उसनें बोलेरो चालक व बोलेरो के नंबर नही देखे थे। इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसका मुलजिम के साथ राजीनामा हो गया है। इस तथ्य से इनकारी की है कि राजीनामा होने के कारण वह गलत बयान कर रहा हो।

10. हस्तगत प्रकरण में परिवादी रोहताश ने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि वाहन बोलेरो संख्या एचआर72–1686 के चालक ने बोलेरो को तेजगति से चलाकर दुर्घटना कारित की, परन्तु इस सम्बन्ध में आहत की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो इसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन

किया है कि उसने बोलेरो के चालक एवं बोलेरो के नम्बर नहीं देखे। इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य के दौरान न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट का लैसमात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन की ओर से प्रतिपरीक्षा करने पर भी इस साक्षी ने इस तथ्य से इनकारी की है कि बोलेरो नंबर एचआर 72–1686 के चालक विनोद कुमार ने लापरवाही व तेज गति से चलाकर उसकी कार के टक्कर मारी हो।

11. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में आहत ने अपनी साक्ष्य के दौरान घटना की तारीख, समय के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए बोलेरो के नम्बर एवं चालक को मौका पर नहीं देखने का कथन किया है तथा इस तथ्य से स्पष्टतः इनकारी की है कि उसकी कार के बोलेरो के चालक विनोद कुमार ने लापरवाही व तेज गति से चलाकर टक्कर मारी हो। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वर वक्त दुर्घटना उक्त बोलेरो पर चालक विनोद कुमार रहा हो। ऐसे में जहां चालक के रूप में अभियुक्त की पहचान ही साबित नहीं है, वहां उपेक्षा व उतावलेपन के संबंध में विवेचना जरूरी नहीं है।

12. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **सीआर.एल. आर. 82/1987 संग्राम सिंह बनाम राजस्थान राज्य निर्णय दिनांक 01.02. 1990** में यह महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि इस प्रकार के प्रकरण में अभियोजन को सर्वप्रथम युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वरवक्त दुर्घटना अभियुक्त ही चालक था, उसके पश्चात् ही उतावलेपन व उपेक्षा का प्रश्न उत्पन्न होता है। यह न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है, क्योंकि उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वरवक्त दुर्घटना, दुर्घटना कारित करने वाला वाहन उक्त बोलेरो को अभियुक्त द्वारा ही चलाया जा रहा हो।

13. ऐसी दशा में उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष अवधार्य प्रश्न को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 337, 338 भा0दं0सं0 में जरिये राजीनामा एवं धारा 279 भा0दं0सं0, 134/187 एमवीएक्ट के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

–:: आदेश ::–

14. अतः अभियुक्त विनोद पुत्र हनुमान निवासी वार्ड सं0–3 न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 337, 338 भा0दं0सं0 के आरोप में जरिये राजीनामा एवं धारा 279 भा0दं0सं0, 134/187 एमवीएक्ट के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के इस न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

15. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व से ही सुपुर्दगी पर है, जिसका सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील अवधि, अपील नहीं होने की सूरत में स्वतः निरस्त समझे जावें।

(डिम्पल कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट नोहर
जिला हनुमानगढ़

16. निर्णय आज दिनांक 02.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(डिम्पल कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट नोहर
जिला हनुमानगढ़